-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 10.05.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना बबेरु व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 10 वर्षीय बच्चे का फिरौती हेतु अपहरण करने वाले उसके सगे मामा व अन्य दो साथियों को गिरफ्तार करते हुए बच्चे को सकुशल रोहतक (हरियाणा) से किया गया बरामद तथा घटना में प्रयुक्त चारपहिया वाहन बरामद।**
- **बच्चे के सगे मामा ने ही पैसे के लालच में अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 07.05.2026 को किया था अपहरण ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी बबेरु श्री कृष्ण कांत त्रिपाठी के निकट पर्यवेक्षण में थाना बबेरु व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 10 वर्षीय बच्चे का फिरौती हेतु अपहरण करने वाले सगे मामा व उसके दो अन्य साथियों को गिरफ्तार करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। गौरतलब हो कि थाना बबेरु क्षेत्र के कस्बा बबेरु के रहने वाले अनिल कुमार पुत्र हरप्रसाद ने दिनांक 07.05.2026 को अपने 10 वर्षीय बच्चे के स्कूल से छुट्टी होने के पश्चात घर वापस न आने के सम्बन्ध में प्रार्थना दिया गया था। जिस पर तत्काल थाना बबेरु में तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए बच्चे की सकुशल बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया था। सीसीटीवी कैमरों, वैज्ञानिक एवं तकनिकी साक्ष्यों आदि के माध्यम से जांच क्रम में संदिग्ध व्यक्तियों आदि से पूछताछ करने पर बच्चे के अपहृत होना पाया गया। पुलिस द्वारा त्वरित रुप से कार्यवाही करते हुए अपहृत बच्चे को जनपद रोहतक हरियाणा से सकुशल बरामद करते हुए घटना में शामिल 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में मुख्य अभियुक्त रामजी पुत्र मदनपाल निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा द्वारा बताया गया कि मानेसर हरियाणा में पूर्व से ही काम कर रहे गांव के ही एक व्यक्ति के माध्यम से वह 17 दिन पहले मानेसर हरियाणा गया था वहीं पर एक कम्पनी में सुपरवाइजर की नौकरी करने लगा था जहां पर दो अन्य अभियुक्त सुमित पुत्र रामनाथ निवासी मोहल्ला सेक्टर 04 थाना अर्बन स्टेट जिला रोहतक व अभियुक्त अनीष पुत्र जितेन्द्र निवासी गोहरगांव थाना अर्बन स्टेट जिला रोहतक से मुलाकात हुई और एक हफ्ते पहले तीनो देहरादून ऋषिकेश घूमने गए थे वहीं से पैसो के लालच में आकर मुख्य अभियुक्त रामजी उपरोक्त के द्वारा जनपद बांदा के बबेरु में अपने सगे भांजे का अपहरण कर फिरौती मांगने की योजना तैयार की थी उसके बाद दिनांक 07.05.2026 को तीनों अभियुक्त एक चारपहिया वाहन मारुति फ्रांक्स काले रंग की किराये पर लेकर बबेरु आये थे और बच्चे का अपहरण कर बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस वे से आगरा होते हुए रोहतक हरियाणा ले गए थे। जिसे थाना बबेरु व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरों, वैज्ञानिक एवं तकनिकी साक्ष्यों आदि के माध्यम से संदिग्ध व्यक्तियों

आदि से पूछताछ करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया तथा बच्चे का अपहरण करने वाले उसके सगे मामा व उसके दो अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना का सफल अनावरण व बच्चे की सकुशल बरामदगी करने के लिए पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा थाना बबेरु व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम को 25 हजार रुपए का नकद पुरस्कार दिया जा रहा है।

बरामदगी-

- 01 चारपहिया वाहन मारुति फ्रांक्स (घटना में प्रयुक्त)।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामजी पुत्र मदनपाल निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा।
2. सुमित पुत्र रामनाथ निवासी मोहल्ला सेक्टर 04 थाना अर्बन स्टेट जिला रोहतक।
3. अनीष पुत्र जितेन्द्र निवासी गोहरगांव थाना अर्बन स्टेट जिला रोहतक।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 176/26 धारा 137(2)140(1) बीएनएस थाना बबेरु जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुमित उपर्युक्त-

- मु0अ0सं0- 40/25 धारा 305/331(4)/3(5) बीएनएस थाना आर्य नगर जनपद रोहतक हरियाणा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री राजेन्द्र सिंह राजावत प्र0नि0 थाना बबेरु
2. श्री आनन्द कुमार प्रभारी एसओजी
3. श्री राजेश कुमार मौर्य प्रभारी सर्विलांस
4. श्री अरविंद कुमार सिंह चौकी प्रभारी बेर्रावं
5. उ0नि0 श्री राधाकृष्ण तिवारी
6. म0उ0नि0 सुश्री निक्की पटेल
7. हे0कां0 रजनीश पाण्डेय
8. हे0कां0 अनिल सिंह
9. हे0कां0 अश्वनी प्रताप
10. हे0कां0 संदीप कुमार
11. हे0कां0 आशीष शर्मा
12. कां0 अशोक कुमार
13. कां0 कमल सिंह
14. कां0 प्रतीक सिंह
15. कां0 मनीष कुमार मिश्रा
16. कां0 अमित कुशवाहा
17. रि0म0कां0 कामिनी पाल
18. रि0म0कां0 प्रियंका यादव